उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-2/2023/771/तीन-2022-39(2)/2016
लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2022

शुद्धि-पत्र

वर्ष 2023 के वार्षिक अवकाश से संबंधित विज्ञप्ति संख्या-508/तीन-2022-39(2)-2016 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 में कार्यकारी अवकाशों की सूची के प्रस्तर-5 के तालिका के क्रमांक-1 में अंकित गुरू गोविन्द सिंह जयन्ति 05 जनवरी, 2023 दिन गुरूवार को कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2023 के अवकाश से संबंधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/5/2022-जे0सी0ए0 दिनांक 16 जून, 2022 में अंकित न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

2- तद्नुसार उक्त विज्ञप्ति दिनांक 15 नवम्बर, 2022 यथा संशोधित समझी जाए।

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/उ0प्र्र0।
4- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0
5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- महालेखाकार, उ0प्र इलाहाबाद।
8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
13- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
14- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
15- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेबसाईट पर डालने हेतु।
16- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैक गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in